आज वृक्षारोपण केवल पुण्यदायी कर्म ही नहीं, एक राष्ट्रधर्म के रूप में देखा जाना चाहिए। धरती माँ का आँचल सूना होता जा रहा है। उसे पुनः हरा–भरा करने के लिये स्वाधीनता संग्राम जैसे ही किसी आंदोलन और वैसी ही लगन वाले शूरवीरों की जरूरत है। राष्ट्र के विकास के लिये न जाने कितनी योजनायें चल रही हैं; परन्तु यदि पर्यावरण ही न बचा तो सभी योजनाएँ विफल हो जायेंगी। आज सर्वप्रथम आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण की। हम तरुमित्र या तरुपुत्र बनकर वृक्षों की सेवा करें तो अक्षय पुण्य के भागीदार बन सकते हैं।

वृक्ष कहाँ एवं कैसे लगायें

1. अपनी जमीन है तो सर्वोत्तम, उसमें यथासम्भव अधिकाधिक वृक्ष लगाएँ।
2. शहरों में घर के सामने, गेट के दोनों ओर अशोक वृक्ष लगाए जाएँ। यह देखने में सुन्दर, औषधीय गुणों से भरपूर और कम फैलाव वाले वृक्ष हैं।
3. घरों के आँगन में कच्ची जमीन न हो, तो बड़े गमले में कम फैलाव वाले गुड़हल एवं चाँदनी के फूलों की बेल आदि लगा सकते हैं।
4. सरकारी सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के समीप जहाँ बेकार जमीन पड़ी हो, वहाँ अपने श्रम से पेड़ लगाये जा सकते हैं, उनका स्वामित्व सरकारी रहे, तो भी हर्ज नहीं।
5. गाँव के रास्तों के किनारे छायादार, चारे के वृक्ष एवं शहतूत, जामुन, लोकाठ, बड़हल आदि लुप्त होते जा रहे उन फलों के वृक्ष लगाएँ, जो बाजार में कम ही दिखते हैं और जिन्हें आज के वृद्ध बचपन में कभी वृक्षों पर चढ़–चढ़ कर खाया करते थे।
6. ऊसर भूमि कितनी ही जगह पड़ी है। ग्राम पंचायतों से पूछ कर खाली जगह का प्रयोग किया जा सकता है।
7. चरागाहों और जंगलों का विकास करें, उनमें सघन वृक्षारोपण करें।

8. प्रत्येक गाँव के देवस्थान/वन गोचर, बंजर भूमि में अधिकाधिक वृक्षों का रोपण करें।
9. शहरों कस्बों में उजड़े उद्यानों को फिर से हरा-भरा करें, विकसित करें।
10. शहरों-कस्बों में अक्सर खाली पड़े प्लॉट में गन्दगी का घर बन जाते हैं। अपने आस-पास के ऐसे स्थान को तुलसी वाटिका, पुष्प वाटिका, औषधीय पौधे लगाकर स्वास्थ्य वाटिका में रूपान्तरित करें। इससे गन्दगी एवं बीमारी से भी बचाव होगा और आसपास के लोग उसका लाभ भी ले सकेंगे। आवश्यकता हो तो प्लॉट मालिक से इसके लिये अनुमति ली जा सकती है।
11. नदियों, झीलों के तटों, किनारों पर भूमि क्षरण रोकने वाले एवं औषधीय वृक्षों का रोपण करें। तालाबों, कुओं, सरोवरों के किनारे विशेष रूप से बरगद, पीपल, गूलर आदि के वृक्ष लगायें।
12. वन प्रदेशों में जहाँ पेड़ काट तो लिये गये हैं, पर फिर लगाये नहीं गये, वहाँ जाकर वृक्ष लगायें। जंगलों एवं चरागाहों में विशेष रूप से फलदार वृक्ष लगायें; ताकि बन्दरों आदि वन्य पशुओं को आहार मिल सके। बन्दरों का गाँव, कस्बों और शहरों में आने का एक कारण जंगलों में पर्याप्त भोजन न मिल पाना भी है।
13. सामाजिक संगठनों एवं सरकारी कार्यालयों के परिसर में।
14. प्रत्येक विद्यालय में 24 पौधों का रोपण करायें। (जहाँ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन होता है, वहाँ यह कार्य सहज है)
15. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के किनारे फलदार/छायादार वृक्ष लगायें।
16. श्मशान घाट पर धार्मिक महत्त्व वाले एवं छायादार वृक्ष लगायें।
17. खेतों की मेढ़ों पर फलदार एवं कृषि में सहायक पौधों का रोपण करें।
18. महाविद्यालयों के परिसरों में सम्पर्क कर वृक्षारोपण करें।
19. खाली, वीरान पड़ी छोटी-बड़ी पहाड़ियों पर।

20. औषधीय गुणों वाले वृक्षों को महत्त्व दें, जैसे- नीम, आँवला, अशोक आदि इन वृक्षों की पौध तैयार करके वितरित करें।
21. यज्ञ अथवा दीप यज्ञों में वृक्षों के तैयार पौधे प्रसाद रूप में संकल्पपूर्वक वितरित किये जायें तथा प्रत्येक कार्यक्रम में इस हेतु लक्ष्य निर्धारित करें।
22. शक्तिपीठों में, मन्दिरों में, उद्यानों में नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, नवग्रह वाटिका, वास्तु वाटिकाओं आदि का रोपण करें। एक बोर्ड पर सम्बन्धित वृक्षों का महत्त्व भी लिखकर लगाने से लोग और अधिक लाभान्वित हो सकेंगे।
23. विभिन्न धर्म स्थलों पर कुरानी, मसीही, बुद्ध, महावीर वाटिका, गुरु के बाग लगायें।
24. मन्दिरों में पर्यावरण शुद्धि हेतु त्रिवेणी (पीपल, बरगद, नीम) अथवा पंचवटी (नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आँवला) रोपण, हरि शंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़) का रोपण।

पौधे कहाँ से प्राप्त करें

1. फलदार पौधे- उद्यान विभाग से।
2. अन्य पौधे- वन विभाग व नर्सरी से
3. माली द्वारा कम लागत में बीज/कलमी पौधे तैयार किये जा सकते हैं।
4. शक्तिपीठों, मन्दिरों में यदि जगह है तो वहाँ भी पौध तैयार की जा सकती है।
5. अपने घर की छोटी-सी क्यारी में भी पौध तैयार कर सकते हैं।
6. नगरनिगम/पालिका से सम्पर्क करें।
7. सार्वजनिक स्थान हेतु सरकारी नर्सरी के पौधे प्राप्त कर सकते हैं।
8. पौधे एवं ट्री-गार्ड, बैंक, बीमा, उद्योग संस्थाओं से, पंचायत अथवा स्थानीय निकायों से प्रायोजित कराये जा सकते हैं।
9. तरुपुत्र या तरुमित्र बनाकर जन-भागीदारी से साधन जुटाये जा सकते हैं।

भूमि एवं साधन कहाँ से प्राप्त करें

1. ग्रामीण क्षेत्र में भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित पटवारी से उस स्थान का खसरा निकलवायें। तत्पश्चात् उस भूमि पर वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करवाकर वृक्षारोपण करें, जिसमें पंचायत का सहयोग भी लिया जाये।
2. रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु पंचायत द्वारा तार फेन्सिंग करवाकर वृक्षारोपण करें, जिन्हें पालने की जिम्मेदारी आस-पास के दुकानदारों या रहवासियों को दी जा सकती है।
3. रेलवे के भूभाग पर वृक्षारोपण करने के लिए रेल विभाग से अनुमति व सहायता ली जा सकती है।
4. विद्यालयों मे ईको क्लब द्वारा प्रति वर्ष इस हेतु कुछ राशि माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेन्ड्री शालाओं को प्राप्त होती है। प्राचार्य से चर्चा कर विद्यालयों में तरुमित्र योजना द्वारा विद्यार्थियों को पर्यावरण आन्दोलन से जोड़कर पौधारोपण कर उनके संरक्षण का दायित्व विद्यार्थियों को दे दें।
5. नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका निगम या नगर पंचायत से ट्री-गार्ड की व्यवस्था बनवाई जा सकती है।
6. सस्ते बाँस खरीद कर बाँस की चिपली से भी सस्ते ट्री-गार्ड बनवाये जा सकते हैं। कँटीली तार का घेरा भी बना सकते हैं।
7. राष्ट्रीकृत बैंक/बीमा/पेट्रोलियम कम्पनी भी वृक्षारोपण हेतु ट्री गार्ड व साधन उपलब्ध करवाती है, उनसे भी इस कार्य हेतु सहयोग लिया जा सकता है।

खोजें वृक्षारोपण के अवसर

1. तरुपुत्र /तरुमित्र का संकल्प लें।
2. अपने जन्मदिन अथवा विवाह दिवस पर।
3. अपने पितरों की स्मृति में।
4. किसी महत्त्वपूर्ण अवसर, पर्व-त्यौहार पर।

5. हरियाली (तीज) महोत्सव पर।
6. नये भवन, परिसर के शुभारम्भ पर।
7. यज्ञों, कथाओं में, संस्कारों के आयोजन में प्रसाद रूप में पेड़े के साथ-साथ पेड़ भी बाँटें।
8. महाविद्यालयों /विद्यालयों में प्रवेश पर ज्ञान दीक्षा के अवसर पर।
9. स्कूल-स्कूल जाकर बच्चों में जागरूकता पैदा कर दी जाये तो वे परिवारजनों को भी प्रेमपूर्वक प्रेरित करते रहेंगे, बच्चों में यह भाव बहुत गहराई से भर दिया जाये कि पेड़ों में भी जीवन होता है, उसकी शाखा आदि काटने से उन्हें भी दर्द होता है।
10. अपना कीमती समय निकालकर पेड़ लगाने में नित्य-नियमित थोड़ा-थोड़ा पुरुषार्थ करते रहें।
11. स्वयंसेवक अपने संगठन तैयार कर वृक्ष गंगा अभियान में विशेष समय, पुरुषार्थ लगायें।
12. वृक्ष संरक्षण आदि के नियम-कानून की जानकारी लेकर इसके संरक्षण में विशेष रूप से मन लगायें।
13. तरु को अपना मित्र बना कर, पुत्र के रूप में गोद लेकर संस्था का सदस्य बनाकर (तरु मित्र, तरु पुत्र, तरु सदस्य) रोपण करें।
14. अपने गुरु व इष्ट को श्रद्धाञ्जलि स्वरूप वृक्ष लगायें।
15. अपने नक्षत्र का वृक्ष लगायें। (Plant your star tree.)
16. घरों में वास्तु के अनुसार वृक्ष लगायें, वास्तु वाटिका बनायें।
17. गाँव के देव स्थान को जाग्रत करें और त्रिवेणी (पीपल, बरगद, नीम), हरिशंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़), पंचवटी (पीपल, बरगद, अशोक, बेल, जामुन) की स्थापना करें।
18. नदियों को वृक्षों की हरी चूनर चढ़ायें, तटों पर औषधीय, धार्मिक एवं पर्यावरण महत्त्व के पौधे लगायें ।

19. पहाड़ियों, टेकरियों को गोद लेकर हरा–भरा बनायें।
20. कृषकों के खेतों की मेढ़ पर पेड़ लगवायें।
21. मन्दिर और गाँव में नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, नवग्रह वाटिका, वास्तु वाटिका की स्थापना करें।
22. विद्यालयों में तरुमित्र योजना चलायें। Eco Club के सहयोग से तरुमित्र बनाकर उनसे वृक्ष के रक्षण एवं पालन का संकल्प कराकर रोपण करायें।
23. गाँव–गाँव में तरुपुत्र यज्ञ करायें। वृक्ष को पुत्र रूप में स्वीकार करायें, रोपण एवं पालन का संकल्प करायें।

पालन-पोषण

मात्र पौधा लगाने को ही इतिश्री न समझा जाये। इनमें खाद–पानी देने तथा वृक्ष के रूप में विकसित होने तक इनकी समुचित देख–रेख की जाये। देख–रेख, सुरक्षा एवं परिपोषण की व्यवस्था न बन सकी, तो श्रम का अधिकांश भाग सरकारी प्रयासों की भाँति निरर्थक चला जायेगा और अन्ततः असफलता ही हाथ लगेगी। प्रारम्भ में गर्मी के दिनों में सिंचाई की एक–दो वर्ष आवश्यकता पड़ती है, फिर तो उनकी जड़ें गहरी चली जाती हैं और वे स्वावलम्बी हो जाते हैं। प्रत्येक परिवार अपने–अपने हिस्से का दायित्व सँभाल ले, वृक्ष लगाने और उसे परिपक्व स्थिति तक पहुँचाने का काम चल पड़े, तो कुछ ही वर्षों में अपने आस–पास के परिसर को हरा–भरा बनाया जा सकता है और राष्ट्र में न्यूनतम 33% वन–सम्पदा हो, इस अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

1. वृक्ष जन–जन से लगवायें। पालन–पोषण की जिम्मेदारी युवा मण्डल सँभाले।
2. पास के मुहल्ले, कस्बे, गाँव के किशोरों, युवक–युवतियों तथा महिला–पुरुषों के पाँच–पाँच के समूह बनाकर उन्हें भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है।
3. उन्हें वृक्ष को तरुपुत्र अथवा तरुमित्र के रूप में गोद लेने की प्रेरणा दें।

4. जहाँ पालन-पोषण का प्रबन्ध न हो, वहाँ वर्षा ऋतु में पौध रोपण की व्यवस्था बनायें तथा ऐसे पौधों का चयन करें, जिन्हें बहुत अधिक देख-रेख की जरूरत न पड़ती हो। ऐसे स्थान के लिये किसी माली अथवा मजदूर को नियुक्त भी किया जा सकता है। उसके पारिश्रमिक की व्यवस्था किसी धनी व्यक्ति द्वारा अथवा गाँव, मोहल्ले एवं सोसायटी द्वारा सामूहिक रूप से चन्दा कर बनाई जा सकती है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में अर्जी देने पर आश्रित श्रेणी के लोगों को भी इसके लिये ऋण दिया जाता है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे, विधवा, अपंग, निराश्रित व्यक्ति सड़क किनारे या खाली पड़ी सरकारी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर उसे अपनी आजीविका का साधन बना सकता है। वृक्ष लगाने वाला वृक्ष के फलों का अधिकारी होगा, वह उन्हें तोड़कर बेच सकता है; किन्तु वृक्ष को काट नहीं सकता। भूमि पर भी सरकार का ही स्वामित्व रहेगा।
6. वृक्षारोपण करने वाले तरुपुत्र अथवा तरुमित्रों का पंजीयन अवश्य करायें।

फ्लैट में रहते हुए हरियाली कैसे उगायें

1. घर के बरामदे या छत पर अपनी एक शाक वाटिका तैयार करें, जिसमें धनिया, मिर्च, टमाटर एवं गमले में लगाये जा सकने वाले अन्य शाक आदि लगायें तो कम ही सही, पर कीटनाशकों से मुक्त सब्जी एवं चटनी खा सकते हैं। थोड़ा खर्च बचेगा, सो अलग।
2. घर के सामने यदि थोड़ी जगह है तो उसमें शाक वाटिका लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक 'गमलों में स्वास्थ्य' पढ़ सकते हैं।
3. कुछ ऐसी बेलें भी होती हैं, जो दीवाल से चिपक जाती हैं और फिर वहीं से अपना पोषण पाती रहती हैं। बालकनी की बाहरी दीवार को ऐसे पौधों द्वारा

भी सुशोभित किया जा सकता है। इन बेलों में पुष्प खिलने पर पुष्पों से लदी बालकनी सबके ध्यानाकर्षण का केंद्र बन जाती है। मूल उद्देश्य है, अपने आस-पास अधिकाधिक हरियाली विकसित करना, ताकि प्रदूषण आदि को कम किया जा सके।

वृक्षारोपण के समय अपेक्षित सावधानियाँ

1. वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद भूमि की नमी तेजी से सूखने लगती है और क्रमशः गहराई में सिमटने लगती है। ऐसे में वे पौधे, जिनकी जड़ें गहराई तक नहीं जा सकी हैं, वे जलाभाव में सूख जाते हैं। यह समस्या रोपण के प्रथम दो वर्षों में अधिक दृष्टिगोचर होती है। पौधों को जल देते रहने से इनकी जड़ों को गहराई में वृद्धि करने की अतिरिक्त सहायता मिलती है, जिससे वे गहरे जल स्तर से अपना सम्पर्क स्थापित कर लें। सार्वजनिक भूमि पर लगाये जाने वाले वृक्षों में अधिकांश की मृत्यु जलाभाववश प्रथम वर्ष में ही हो जाती है। अतः इन पौधों की सिंचाई कर इनकी जीवन रक्षा करना अति महत्त्वपूर्ण कार्य है।
2. गरमी के तेज तापक्रम में कभी-कभी पौधे झुलस कर मर जाते हैं, किन्तु यदि इन पौधों की पर्याप्त सिंचाई होती रहे तो ये पौधे गर्मी में भी ठण्डे बने रहते हैं और तपन की जलन से झुलसने से बच जाते हैं। जिन वृक्षों में सिंचाई होती रहती है, उनमें आग का खतरा भी नहीं रहता; क्योंकि वहाँ सूखी पत्तियाँ जल्दी सड़ जाती हैं, हरी घास उग आती है और पेड़ एवं भूमि ठण्डे होने से आग से बच जाते हैं।
3. तेज सूखा एवं अधिक लू पड़ने पर पुराने वृक्ष भी अपनी जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाते और जलाभाव में मर जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उन्हें भी थाँवला बनाकर जल देना चाहिए।
4. नियमित सिंचाई करने से वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ते हैं और शीघ्र ही जानवरों

द्वारा नुकसान पहुँचाने की ऊँचाई से ऊपर उठ जाते हैं।

5. पौधों को खर–पतवार से दबाये जाने का खतरा तभी तक रहता है, जब तक वे छोटे रहते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में सिंचाई कर तेज वृद्धि करा देने से रोपित पौध को खर–पतवार का खतरा शीघ्र समाप्त हो जाता है।
6. सिंचित वृक्षों में पाले से मृत्यु का खतरा कम होता है।
7. थाँवला बनायें– वृक्षों को थाँवला बनाकर जल देना चाहिए, बिना थाँवले के वृक्ष या पौधे को जल देने पर जल ऊपर ही ऊपर बह जाता है, और जड़ों को नहीं मिल पाता।
8. काँटेदार प्रजातियों शमी, बेल आदि एवं नीम को अधिक जल भराव से बचाना चाहिए।
9. धार्मिक दृष्टि से वृक्ष को जल देने का सर्वाधिक उपयुक्त समय पूर्वाह्न वेला होती है। वानिकी की दृष्टि में यदि पानी की कमी है, तो सिंचन का उपयुक्त समय सायंकाल होता है; क्योंकि दिन में सिंचाई करने से कुछ जल वाष्पीकृत हो जाता है।
10. वृक्ष को जल देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल धार से जड़ के पास की मिट्टी का क्षरण न हो, और न ही जड़ें नंगी होने पायें।
11. जल वृक्ष को अधिक दिन तक लाभ पहुँचाये, इसके लिए जरूरी है कि थाँवला सूखते ही इसके ऊपर की सतह में पतली गुड़ाई कर दी जाये और हो सके तो यहाँ घास–पत्ती आदि फैला दी जाये। इससे थाँवले के नीचे की मिट्टी का पानी उड़ना बन्द हो जाता है।
12. जल भावनाओं का सर्वश्रेष्ठ वाहक है। अत: व्रत रहकर, पवित्र होकर दिव्य आत्माओं व वृक्ष को जल पिलाने की भावना से जल देने का महत्त्व सामान्य जलदान से कई गुना अधिक लाभदायक है।

पौध तैयार करना

बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य हमारे सामने है। शहरों में तो नर्सरी से पौधे लिये जा सकते हैं, परन्तु बहुत बार वहाँ पर भी सीमित ही पौधे मिलते हैं। सभी प्रकार के वृक्षों की पौध वहाँ पर भी कम ही मिल पाती है। इसलिये जब हमें वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ करना है, तो उससे कम से कम दो माह पूर्व नजदीकी नर्सरी में सम्पर्क करके अपनी माँग दर्ज करा दें। जानकार व्यक्ति अपने स्तर पर स्वयं भी पौध तैयार कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर, सामूहिक योगदान से अथवा ग्राम सभा की भूमि पर भी आवश्यकतानुसार पौधशाला बनाई जा सकती है। आवश्यकता हो तो उद्यानिकी एवं वानिकी विभाग से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। शान्तिकुञ्ज के उद्यान विभाग से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पौधशाला तैयार करने हेतु कुछ सामान्य जानकारी

1. नर्सरी प्रारंभ करने का उचित समय है– वर्षा ऋतु एवं वसन्त ऋतु।
2. जमीन सुसिंचित एवं उपजाऊ हो।
3. स्थान ऐसा हो, जहाँ वर्ष भर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सके।
4. पौधशाला सड़क के पास होने से पौध के परिवहन में सुविधा रहेगी।
5. ऐसा स्थान, जहाँ पौध को तेज धूप, तेज हवा व रेत आदि से बचाया जा सके।

भूमि (मिट्टी) की तैयारी

1. भूमि समतल होनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं है, तो उसे समतल कर लें; ताकि दी गई खाद एवं पानी व्यर्थ न बह जाये।
2. भूमि में यदि कंकड़ – पत्थर हों, तो उसे बीनकर या छानकर अलग कर दें।
3. रेतीली जमीन है, तो 1:4 के अनुपात में कम्पोस्ट खाद एवं मिट्टी मिलाने से भूमि की जलधारण और उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
4. यदि चिकनी मिट्टी है, तो पानी जमा होने की सम्भावना रहती है। उसे सुधारने के लिये 3:1:1 के अनुपात में मिट्टी, रेत एवं कम्पोस्ट खाद

मिलाएँ।

5. अच्छी प्रजाति के पौधों तथा अच्छी गुणवत्ता के बीजों का इस्तेमाल करें।
6. एक से डेढ़ मीटर चौड़ाई की ही क्यारियाँ बनायें, ताकि उनमें आसानी से काम किया जा सके।
7. दो क्यारियों के बीच 1 से 2 फीट का स्थान अवश्य रखें; ताकि एक जगह बैठ कर दोनों ओर की क्यारियों में काम कर सकें।
8. तेज हवा से बचाव हेतु क्यारियाँ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनानी चाहिये।
9. क्यारी बनाते समय उसमें हलकी–सी साधारण ढाल रहे, ताकि जल का निकास ठीक रहे। अधिक पानी को निकालने के लिये बीच में नालियाँ भी बनानी चाहिये।

आम तौर पर तीन प्रकार की क्यारियाँ बनाई जाती हैं।

1. **अंकुरण क्यारियाँ**– यह बीज को अंकुरित करने तथा पौध को प्राय: एक माह तक रखने के लिये बनाई जाती हैं।
2. **प्रतिरोपण क्यारियाँ**– अंकुरण क्यारियों से निकालकर पौध को इन क्यारियों में निश्चित दूरी पर प्रतिरोपित किया जाता है।
3. **पॉलिथिन रखने के लिये**– इन क्यारियों का उपयोग पौध के पात्र को रखने के लिये किया जाता है।

बीजों की बुआई

1. छोटे आकार के बीजों को अंकुरण क्यारियों में बोया जाता है। बड़े बीजों को पॉलिथिन या अन्य पात्र में बोना लाभदायक है।
2. बड़े बीज को उसकी लम्बाई से दो से चार गुना गहरा बोना चाहिये।
3. बीज को बुआई के तुरन्त बाद धान के पुआल या इसी प्रकार के किसी अन्य घास–फूस से ढक देना चाहिये। ध्यान रखें इस पुआल पर दीमक

आदि का हमला न होने पाये।

पॉलिथिन पात्रों को भरना

1. पॉलिथिन भरते समय ध्यान रखें कि मिट्टी के बीच हवा की पट्टी न बन जाए।
2. अंकुरण क्यारियों से पॉलिथिन पात्र में प्रतिरोपण करते समय पौधों की जड़ें मुड़ने न पायें।
3. पौध का प्रतिरोपण पात्र के मध्य में किया जाए।
4. प्रतिरोपण सामान्यत: शाम के समय किया जाना चाहिए।
5. भरे हुए पात्र को क्यारियों में सीधा खड़ा करना चाहिए।
6. माह में एक बार पॉलिथिन पात्रों का स्थान बदलना चाहिए।
7. जैसे–जैसे पौधे बड़े होते हैं, उनकी जड़ें पॉलिथिन से बाहर निकलने लगती हैं। इन पतली जड़ों को कैंची से काट दें। इससे hormonal secretion अच्छा होता है और मुख्य जड़ मजबूत बनती है।
8. पौध को सीधी धूप से बचाने के लिये कृत्रिम छाया की जानी चाहिए।